

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता - कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दूरभाष-0151-2226551 ई-मेल trainingsectionle@gmail.com

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिप्र/4443/मुसयो/2019-20/161

दिनांक: 21/01/2021

समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/निजी
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डीएलएड)

विषय: विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना शुल्क पुर्नभरण के संबध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत क्रम में विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अन्तर्गत डी. एल.एड. में अध्ययनरत् पात्र छात्राओं के आवेदन संलग्न चैक लिस्ट अनुसार पूर्ण कर दिनांक 29.01.2021 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षणार्थी को आवेदन में अंकित वर्ष का शुल्क पुर्नभरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं किसी प्रशिक्षणार्थी का दोहरा आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किया जाए। विलम्ब की स्थिति में यदि पात्र छात्राओं को शुल्क पुर्नभरण नहीं होने की स्थिति में संबधित संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इस संबध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत राशि का पुर्नभरण निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (डीएलएड) की पात्र छात्राओं को संबधित जिले के प्राचार्य, डाइट द्वारा अपने जिले में संचालित निजी संस्थाओं की पात्र छात्राओं को पुर्नभरण की जो राशि सूची सहित लाभ हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है। अतः प्रत्येक आवेदक की सूचना संलग्न प्रपत्र में होने पर ही शुल्क पुर्नभरण की कार्यवाही की जावेगी, अन्यथा आवेदन निरस्त समझा जाएगा।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिप्र/4443/मुसयो/2019-20/
प्रतिलिपि:निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक

- 1 शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को देकर लेख है कि पत्र एवं संलग्नक समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थाओं (डीएलएड) को जरिये ई-मेल के माध्यम से भिजवाये।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
- 4 समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को देकर लेख है. कि पत्र एवं संलग्नक जिले में संचालित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (डीएलएड) को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित पत्र एवं समयानुसार आवेदन इस कार्यालय को भिजवाने हेतु पाबन्द करें तथा किसी भी प्रशिक्षणार्थी का दोहरा आवेदन अग्रेषित न हो, यह भी सुनिश्चित करें।
- 5 सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की वेब साईट में अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना
आवेदन-पत्र (2020-21)

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम: _____
2. शिक्षक शिक्षण संस्था का नाम: _____
3. पाठ्यक्रम [बी.एस.टी.सी. (सामान्य / संस्कृत) / बी.एड. (सामान्य / संस्कृत)]: _____
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष: _____
5. विधवा अथवा परित्यक्ता: _____

नोट:

विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि तथा यह शपथ-पत्र संलग्न करें कि पुनर्विवाह नहीं किया है (शपथ-पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा हो)।

परित्यक्ता होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रतिलिपि तथा यह शपथ-पत्र संलग्न करें कि पुनर्विवाह नहीं किया है (शपथ-पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा हो)। मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परंतु तलाकनामे के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो तलाक को प्रमाणित करते हों।



सत्यापन

मैं, _____ (नाम) यह सत्यापित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाएं सही हैं।


(हस्ताक्षर आवेदनकर्ता)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रामाणित किया जाता है कि आवेदक _____ (नाम) को इस संस्था में शैक्षिक वर्ष _____ में _____ (पाठ्यक्रम का नाम) में प्रवेश दिया गया है। आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण संस्था के रिकार्ड के आधार पर सही है। अतः आवेदक को विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संभल योजना के अंतर्गत फीस पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर)

(नाम, पदनाम तथा संस्था की सील)



विद्यार्थी परित्यक्ता मुख्यमंत्री राबल योजना
आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली आवश्यक सूचना

1. आवेदनकर्ता का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पति का नाम :
4. मोबाईल नं. :
5. निवास का पता :
 1. ग्राम का नाम
 2. ग्राम पंचायत
 3. पंचायत समिति का नाम
 4. विधानसभा क्षेत्र का नाम
6. आधार नमांकन संख्या :
(छाया प्रति संलग्न करें)
भागशाह कार्ड संख्या :
 1. ACKNOWLEDGEMENT ID
 2. FAMILY ID(छाया प्रति संलग्न करें)
7. बैंक खाते का विवरण :
 1. खाता संख्या
 2. बैंक का नाम
 3. बैंक शाखा का नाम
 4. IFSC कोड
 5. MICR कोड(पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें)
8. बैंक खाते को आधार से लिंक कर लिया गया है ? :
(अगर किया जाना अनिवार्य है)

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

संस्था प्रभान का प्रमाणिकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान में डी.एल
एड. सत्र 2018-19 में प्रथमवर्ष/द्वितीयवर्ष की नियमित प्रशिक्षणार्थी है तथा विधवा/
परित्यक्ता मुख्यमंत्री राबल योजना के तहत शुल्क पुनर्भरण हेतु आवेदन अग्रेषित किया जा
रहा है।

हस्ताक्षर मोहर सहित

1. आवेदन पत्र मुख्यमन्त्री संलग्न योजना के अंतर्गत वीएसटीसी में अध्ययनरत छात्राओं के पिता/माता के आवेदन को संकेत में देकर लिस्ट:-
 1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो
 2. आवेदन संस्था प्रधान द्वारा अंग्रेषित हो
 3. आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि छात्रा का प्रवेश किस वर्ष में हुआ है एवं वर्तमान में किस स्तर में अध्ययनरत है।
 4. शुल्क पुनर्भरण राशि का वर्ष
 5. मध्यम कालेज की प्रति
 6. समाशाह कालेज की प्रति
 7. प्रार्थी के बैंक पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम,आईएफएस कोड सुपाठ्य हो।
 8. विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न करे,छाया प्रति मान्य नहीं लगी।
 9. परित्यक्ता होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री संलग्न करे।
10. विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र संलग्न करे, शपथ पत्र में पति के नाम का भी उल्लेख है। (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो) शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करें कि जिस वर्ष हेतु शुल्क पुनर्भरण का आवेदन किया जा रहा है उसका पुनर्भरण पूर्व में नहीं हुआ है।
11. परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामों के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो तलाक को प्रमाणित करते हो।
12. आवेदन के साथ कालेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं की प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
14. संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि छात्रा को पूर्व में जिस वर्ष हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका शुल्क पुनर्भरण नहीं हुआ है।
15. कालेज द्वारा लिये गये शुल्क की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
16. ~~भारतीय न्याय के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु संलग्न पत्र में कृपया निम्नलिखित बातें~~